मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9/2/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21 जून, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय - दिनांक 1-1-2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

संदर्भ - वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9/2/2009/नियम/चार(भाग-2), दिनांक 3 अगस्त 2009.

--***--

विषयांकित संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो, जिसमें दिनांक 1-1-2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन अथवा परिवार पेंशन पुनरीक्षण किये जाने के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं । विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे शासकीय सेवकों जिन्हें सेवानिवृत्ति के माह में क्रमोन्नति/पदोन्नति/पदावनत होने के कारण दो पृथक–पृथक वेतन देय होता है तो ऐसे कर्मचारियों के पेंशन एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान की गणना किस उपलब्धि के आधार पर की जायेगी, के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है ।

उपरोक्त बिन्दु पर विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे शासकीय सेवकों को उस माह में क्रमोन्नति/पदोन्नति/पदावनत होने के पूर्व प्राप्त बैंड वेतन+ग्रेड पे एवं क्रमोन्नति/पदोन्नति/पदावनत के बाद देय बैंड वेतन+ग्रेड पे के योग के अनुपातिक आधार पर पूर्ण माह हेतु देय परिलब्धियों की गणना की जाकर पेंशन/मृत्युसह-सेवानिवृत्ति उपादान की गणना की जावेगी । इस संबंध में उपयुक्त उदाहरण-1 एवं -2 भी मार्गदर्शन हेतु संलग्न है ।

संलग्न- उदाहरण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एन.मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Niyam/Paripatra/2011
6/16/2011

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-2/2009/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 21 [illegible] 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी. के. सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

उदाहरण- (1) 'क' कर्मचारी दिनांक 1-1-2010 से 22-6-2010 तक वेतन बैण्ड ₹9300+34800+3200 ग्रेड पे में वेतन ₹10200+3200 ग्रेड पे कुल ₹13400/- प्राप्त कर रहा था । उक्त कर्मचारी को दिनांक 23-6-2010 से पदोन्नति वेतन बैंण्ड ₹9300+34800+3600 ग्रेड पे में हुई एवं उसके द्वारा पदोन्नति पद पर दिनांक 23.6.2010 को ही कार्यभार ग्रहण किया गया । पदोन्नति पद पर उक्त कर्मचारी को स्वीकृत वेतन बैण्ड में दिनांक 23-6-2010 को वेतन ₹10500+3600 ग्रेड पे कुल ₹14100/- निर्धारित होगा ।

कर्मचारी दिनांक 30-6-2010 को सेवा निवृत्त हो रहा है । उक्त कर्मचारी के पेंशन / मृत्यु सह सेवा निवृत्ति के लिए अंतिम परिलब्धियां निम्नानुसार होगा :-

1-6-2010 से 22-6-2010 तक	$13400 \times \frac{22}{30}$	=	9826.66
23-6-2010 से 30-6-2010 (से.नि.)	$14100 \times \frac{8}{30}$	=	3760.00

योग ₹13586.66 पूर्णांकित ₹13587

अंतिम परिलब्धियां ₹13587

टीपः-क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी के मामलों में भी उपरोक्तानुसार ही अंतिम परिलब्धियों की गणना की जावेगी ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

उदाहरण- (2) 'ख' कर्मचारी दिनांक 1-1-2010 से 22-6-2010 तक वेतन बैण्ड ₹9300+34800+3200 ग्रेड पे में वेतन ₹10200+3200 ग्रेड पे कुल ₹13400/- प्राप्त कर रहा था । उक्त कर्मचारी को दिनांक 23-6-2010 से वेतन बैण्ड ₹5200+20200+2800 ग्रेड पे में पदावनत किया गया । उक्त कर्मचारी पदावनत पद के वेतनमान में दिनांक 23.6.2010 को वेतन ₹10200+2800 ग्रेड पे कुल ₹13000/- निर्धारित किया गया ।

कर्मचारी दिनांक 30-6-2010 को सेवा निवृत्त हो रहा है । उक्त कर्मचारी के पेंशन / मृत्यु सह सेवा निवृत्ति के लिए अंतिम परिलब्धियां निम्नानुसार होगा :-

1-6-2010 से 22-6-2010 तक	$13400 \times \frac{22}{30}$	=	9826.66
23-6-2010 से 30-6-2010 (से.नि.)	$13000 \times \frac{8}{30}$	=	3466.66

योग ₹13293.32 पूर्णांकित ₹13293

अंतिम परिलब्धियां ₹13293

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग